

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (13)निकाशि/अनु/2012/538

दिनांक 27/6/12

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2012-13 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है-

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
मौ शारदे जनहिताय सेवा संस्थान, गंगडतलाई तहसी बागीदौरा, जिला बांसवाडा	मौ शारदे महाविद्यालय, गंगडतलाई तहसी बागीदौरा, जिला बांसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त-भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, चित्रकला, गृहविज्ञान, लोकप्रशासन, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र ।

1. संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
6. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
7. संस्था/ महाविद्यालय को यूजीसी. राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।